





राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना-800022



अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी प्रथम अपील वाद
संख्या-96 (लो0सू0अ0)/2023-24

डॉ. कुमोद कुमार, ग्रा.-हलालपुर, पो.+था.-दमगाड़ा, जिला-पूर्णिमा-854202
बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक
01.11.2023	<p>डॉ. कुमोद कुमार, ग्रा.-हलालपुर, पो.+था.-दमगाड़ा, जिला-पूर्णिमा-854202 के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक-26.10.2023 इस कार्यालय में दिनांक-01.11.2023 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में कोई साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है।</p> <p>अपीलकर्ता डॉ. कुमोद कुमार ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक-26.09.2023 को सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना को निबंधित डाक से दिया था, परंतु लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से क्षुब्ध होने के फलस्वरूप प्रथम अपीलीय प्राधिकार-सह-माननीय राज्यपाल, राज्यपाल सचिवालय, बिहार के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है।</p> <p>साथ ही उन्होंने उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक-26.09.2023 की छायाप्रति भी संलग्न की है।</p> <p>बिहार सूचना का अधिकार नियमावली, 2006 के नियम-3 (परिशिष्ट-1) के अनुसार अपील शुल्क के रूप में रु 10/- (दस रूपए) देय है, जो अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन के साथ संलग्न नहीं किया है और न ही गरीबी रेखा के नीचे बसर करने का कोई साक्ष्य संलग्न किया है। अतः अपीलार्थी से अपील शुल्क अथवा गरीबी रेखा के नीचे बसर करने का साक्ष्य की मांग करें ताकि उनका अपील आवेदन स्वीकृत कर अग्रतर कार्रवाई की जा सके।</p> <p>लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय से उपर्युक्त प्रपत्र 'क' दिनांक-26.09.2023 से संबंधित अभिलेख/प्रतिवेदन की मांग करें तथा अपीलार्थी से अपील शुल्क की मांग करें ताकि अपील आवेदन स्वीकृत कर अग्रतर कार्रवाई की जा सके। अभिलेख पुनः सुनवाई हेतु दिनांक-24.11.2023 को उपस्थापित करें।</p> <p>सभी संबंधित को सूचित करें।</p> <p style="text-align: right;"> विशेष कार्य पदाधिकारी -सह- प्रथम अपीलीय प्राधिकार दिनांक-03.11.2023</p> <p>ज्ञापक- (1720/शस0000) प्रतिलिपि:-लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, पटना/डॉ. कुमोद कुमार, ग्रा.-हलालपुर, पो.+था.-दमगाड़ा, जिला-पूर्णिमा-854202 को आदेश के प्रति अपलोड करने हेतु प्रेषित।</p> <p style="text-align: right;"> विशेष कार्य पदाधिकारी</p>

अपील वाद संख्या-96 (लो०सू०अ०)/2023-24

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
24.11.2023	<p>दिनांक-01.11.2023 को प्रारित आदेश के क्रम में लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय से प्रतिवेदन/अभिलेख प्राप्त है, परंतु अपीलार्थी डॉ. कुमोद कुमार से अपील शुल्क प्राप्त नहीं है और न ही गरीबी रेखा के नीचे बसर करने का कोई साक्ष्य संलग्न किया है, जो बिहार सूचना का अधिकार नियमावली, 2006 के नियम-3 (परिशिष्ट-1) के अनुसार दिया जाना आवश्यक है। लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार उन्होंने अपीलार्थी द्वारा भेजी गयी प्रपत्र 'क' के आलोक में सूचना भेज दी है।</p> <p>उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में इस अपील आवेदन पर अग्रतर कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। सभी संबंधित को सूचित करें।</p> <p style="text-align: right;">  विशेष कार्य पदाधिकारी -सह- प्रथम अपीलीय प्राधिकार </p>	
	<p>ज्ञापक-1907/श०अ०(अ)</p> <p>प्रतिलिपि-लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, पटना/डॉ. कुमोद कुमार, ग्रा.-हलालपुर, पो.-था.-दमगाड़ा, जिला-पूर्णिया-854202 को आदेश के प्रति अपलोड करने हेतु प्रेषित।</p> <p>आई.टी. प्रबंधक, एन.आई.सी., राजभवन, पटना को आदेश के प्रति अपलोड करने हेतु प्रेषित।</p> <p style="text-align: right;">  विशेष कार्य पदाधिकारी </p>	